न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 42/2017 (बांसवाड़ा डिकी)

जगजी पिता वेस्वा, जाति मछार भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी कलसेंग, जाति भील, निवासी झांझरवाकला, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. कमलेश पिता टिटा, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. नाहटा पिता टिटा, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती रंगी बेवा टिटा, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. महेश पिता लालू, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. भावेश पिता लालू, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. कल्पेश पिता लालू, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. मेघला पिता वेस्ता, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. दितीया पिता मखजी, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. बदिया पिता मखजी, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. पारसेंग पिता मखजी, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. दलसेंग पिता मकना, जाति भील, निवासी सेण्डनानी, तहसील गांगड़तलाई, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त० अधि० –1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा दि.
28.06.2017 प्रकरण संख्या 93/2007
---::---

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एम. के. गांधी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
---::---

निर्णय **दिनांक 29–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेण्डनानी में खाता संख्या 170 के सर्वे नंबर 525 से 533, 535 कुल किता 10 रकबा 4.2300 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी के खातेदारी की होकर काबिज चली आ रही है। पूर्व खातेदार हुरता, हेंगा व मोगा पिता कुशाला जोगी ने उक्त खेत वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03–06–2006 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 60 दिनांक 20–06–2006 को वादी के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुए भी झगड़ा–फसाद करते हैं तथा धमकी देते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 28–06–2017 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–09–2017 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एम.के. गांधी उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 02–08–2017 को प्रकरण में फैसले की सूची जारी की गयी, जिसकी प्रति अपीलान्ट को दिनांक 09–09–2017 को प्राप्त हुई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में एक माह का विलम्ब हुआ है, जिसे प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। प्रकरण प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत था, परन्तु बिना जवाब लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। राजस्व कैम्प में पक्षकारों की सहमति से ही प्रकरणों का निस्तारण होता है, जबकि अपीलान्ट की कोई सहमति नहीं थी। अपीलान्ट को जवाबदावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट स्वयं राजस्व कैम्प में उपस्थित हुए, किन्तु हस्ताक्षर करने से इंकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर [illegible] दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट का कथन है कि उसे जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। किन्तु पत्रावली

स.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलान्ट को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किये गये हैं एवं राजस्व कैम्प में भी अपीलान्ट/प्रतिवादी उपस्थित था, किन्तु हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। राजस्व रेकार्ड अनुसार वादीया विवादित आराजियात की रेकार्डेड खातेदार है तथा अपने खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अपीलान्ट ने हमारे समक्ष भी ऐसा कोई कारण नहीं बताया है एवं न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिससे वादग्रस्त आराजियात में उनका कोई हित अधिकार साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 28–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

29.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

जगजी पिता वेस्ता, जाति मछार भील, निवासी सेण्डनानी, तह0 गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा

बनाम

श्रीमती सुशीला देवी पत्नी कलसेंग, जाति भील, नि. झांझरवाकला, तह0 गांगडतलाई, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.......**42/2017**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.........**बागीदौरा**... मुकाम...............मुवर्खे.........**28**............माह..........**06**..........**2017**................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**29**....माह......**08**....सन् **2025** रूबरू..........**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**...मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री एम. के. गांधी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 28–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)....रूपये...... **X**........
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का...................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**29.**......माह.......**08**..........**2025**........
को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा ..			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे जमरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested